न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

वाद प्रार्थना पत्र सं.	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील
141/23	53, 88, 89, 90, 91, 92A, 188 RTA	बोरीना	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
कृष्ण कुमार	बनाम	बाबूलाल

वकील :- श्री नीरज कुमार गुप्ता एड

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
18.10.23	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90, 91, 92A, 188 RTA विरुद्ध प्रार्थी वादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट तहसील का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजि० किया जाकर प्रार्थी वादी गण को पर्ची समन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 6.12.23 को पेश हो।	
6-12-23	पीठासीन अधिकारी [illegible] में रहने से स्थगित दिनांक 31-1-24 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
31-1-24	पीठासीन अधिकारी [illegible] में रहने से स्थगित दिनांक 7-3-24 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
7-3-24	पीठासीन अधिकारी [illegible] में रहने से स्थगित दिनांक 30-4-24 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
21.3.24	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा न्यायालय के उप० रोकर प्रार्थना पत्र वापस नोट पेश करने हेतु पेश करने पर पत्रावली पेश हुई। वकील वादी का कथन है कि उक्त इनकारी प्रकरण में आपसी समझाइश व लोक अदालत की मध्यस्थता से मध्य राजीनामा हो गया है इस कारण से उक्त वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र के आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है प्रकरण Not Press करना चाहता है। वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है वादी का वाद Not Press/ खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती वकील के हवाले हो।	कृष्ण कुमार यादव Nabe Ali (राजेन्द्र कुमार गुप्ता)

Scanned with CamScanner